न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 68/2025 G.C.M.S. No. 2025/723 दर्ज दिनांक : 10.11.2025

अपीलार्थीगण:

1. सुरेश पुत्र धरमाराम, आयु वयस्क, जाति रावल
2. यशकुमार पुत्र गिरधारीलाल, जाति रावल
3. जनक कुमार पुत्र गिरधारीलाल, जाति रावल, सर्वनिवासियान रावलावास, तहसील पिण्डवाड़ा व जिला सिरोही।
4. जागृति पुत्री गिरधारीलाल पत्नि नरेशकुमार, उम्र वयस्क, जाति रावल, निवासी कोदरला, तहसील पिण्डवाडा व जिला सिरोही।
5. विद्या पत्नि गिरधारीलाल, जाति रावल, निवासी रावलावास, तहसील पिण्डवाड़ा व जिला सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. बसंतीदेवी पुत्री धरमाराम पत्नि शिवराम, जाति रावल, निवासी जैन मंदिर के पास, सिरोही, तहसील व जिला सिरोही।
2. मंजुलाबेन पुत्री धरमाराम पत्नि चम्पालाल, जाति रावल, निवासी पेशुआ, तहसील पिण्डवाड़ा व जिला सिरोही।
3. पानीबाई पुत्री धरमाराम पत्नि जगदीशकुमार रावल, निवासी सिरोही, तहसील व जिला सिरोही।
4. वीणा पुत्री धरमाराम पत्नि जगदीशकुमार रावल, निवासी जनापुरा, तहसील पिण्डवाडा व जिला सिरोही।
5. बालुराम पुत्र धरमाराम, आयु वयस्क, जाति रावल, निवासी रावलवास, पिण्डवाड़ा व जिला सिरोही।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा, जिला सिरोही।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पिण्डवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2018 बअनवान बसंतीदेवी वगैरह बनाम बालूराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2025</u>

पैरोकार–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री भंवरसिंह देवड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 से 4
3. श्री भैरूपालसिंह बालावत, श्री नरपतसिंह देवड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पॉडेन्ट संख्या 5

निर्णय

दिनांक: 18.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पिण्डवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2018 बअनवान बसंतीदेवी वगैरह बनाम बालूराम वगैरह में

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 दिनांक 16.11.2018 का अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 16.11.2018 को ही उक्त वाद संख्या 46/2018 पर दर्ज रजिस्टर कर आगामी पेशी 24.12.2018 नियत की गयी थी एवं प्रतिवादीगण को तारीख पेशी के सम्मन जारी किये थें, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 सुरेश कुमार के सम्मन पर तामील कुनिन्दा ने रिपोर्ट की कि घर पर नहीं मिला, माता घर पर अकेली मिली, जिन्होंने नोटिस लेने से इन्कार किया। अतः अदम तामील पेश है। इसी प्रकार बसुबाई का नोटिस भी लेने से इन्कार होने से अदम तामील पेश। प्रार्थी संख्या 4 यशकुमार का नोटिस तामील माना है व जनककुमार हाजिर नहीं मिलने से भाई यश से तामील करवाया की रिपोर्ट की गयी। प्रतिवादी संख्या 6 जागृति बाहर गांव गयी हैं। इसलिए अदम तामील पेश है व प्रतिवादी संख्या 7 घर पर हाजिर नहीं पुत्र यश से तामील करवाने की रिपोर्ट के साथ सम्मन न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। उपरोक्त सम्मन न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 24.12.2018 की आदेशिका में यह उल्लेख किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 7 व 8 के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त, प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 6 के सम्मन अदम तामील प्राप्त, प्रतिवादी संख्या 4 उपस्थित। उसके पश्चात् आदेशिका दिनांक 29.01.2019 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली इल्तबा की गयी। उसके पश्चात् दिनांक 12.02.2019 को वकील मण्डल द्वारा कार्य का बहिष्कार होने से पत्रावली में दिनांक 26.02.2019 को पेशी नियत की गयी एवं दिनांक 26.02.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बाद तामील अनुपस्थित होना मानते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय के आदेश पारित कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 09.04.2019 को नियत की गयी। उपरोक्त प्रकार से यह पूर्णतया प्रमाणित था कि सुरेश कुमार को कभी भी सम्मन तामील नहीं हुआ एवं प्रतिवादी संख्या 6 को भी सम्मन तामील नहीं हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 3 को भी सम्मन तामील नहीं हुआ एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 7 को भी सम्मन तामील नहीं हुए। इसके उपरांत भी उनके सम्मन को गलत रूप से तामील मानते हुए सभी के विरूद्ध गलत रूप से एकपक्षीय आदेश दिनांक 26.02.2019 को पारित कर दिये गये थें। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या एक की ओर से आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2019 को पेश किया गया, जो बाद सुनवाई दिनांक 26.09.2019 को निरस्त कर दिया, उसके पश्चात तारीख पेशी दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

16.10. 2019 को वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा नकल प्राप्त करने पर यह जानकारी हुई जिससे बालुराम ने उक्त आदेश दिनांक 26.09.2019 के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई रिवीजन पेश नहीं की। वादीगण ने श्रीमान के न्यायालय ने आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु निवेदन किया परन्तु वादीगण ने इस प्रार्थना पत्र की कोई नकल प्रतिवादी को तामील हेतु नहीं भेजी एवं उनकी पीठ पीछे उक्त वाद को पुनः जुलाई 2022 में नम्बर पर लिया गया, उसके पश्चात् उक्त वाद अब वादी की साक्ष्य हेतु लम्बित था। प्रतिवादी संख्या तीन बसुबाई का दिनांक 26.04.2023 को देहांत हो गया है। उनके देहान्त होने की भी वादीगण ने कोई सूचना वादपत्र में नहीं दी, न ही उनके वारिसदार व कायममुकाम को रेकर्ड पर लाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राजस्व मण्डल द्वारा पारित दिशा निर्देश अनुसार पक्षकारान को सुनवाई साक्ष्य का अवसर देकर ही वाद का निर्णय गुणावगुण पर करना चाहिए केवल तकनीकी आधार के कारण वाद का निस्तारण नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर कानून से परे जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की हैं। वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.11.2022 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 आरटी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जो दिनांक 13.02.2023 को प्रार्थना पत्र संख्या 08/2023 पर दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके नोटिस अप्रार्थीगण को जारी किए गये जो नोटिस अप्रार्थी संख्या 2 सुरेश कुमार को तामील हुआ। नोटिस में दिनांक 03.04.2023 की पेशी नियत थी लेकिन दिनांक 03.04.2023 को महावीर जयंती का अवकाश घोषित हो गया था, जिससे सुरेश कुमार ने पता किया तो उसे यह बताया गया कि आज अवकाश होने से आपको तारीख पेशी की सूचना पुनः आपके पते पर आ जायेगी। लेकिन उसके बाद सुरेश कुमार की माता श्रीमती बसुदेवी अत्यधिक गम्भीर बीमार होने से वह उसे ईलाज हेतु बाहर लेकर गया एवं उसके ईलाज में व्यस्त रहा एवं अंत में दिनांक 26.04.2023 को श्रीमती बसुदेवी का देहांत हो गया और उनके कार्यकम व सामाजिक रिति रिवाज पूर्ण होने पर सुरेश कुमार पुनः न्यायालय में पता करने गया तो उसे यह जानकारी हुई कि वर्तमान में प्रशासन गांवो के संग राहत शिविर चल रहे है एवं अब जुलाई में पुनः कोर्ट लगेगी जिस पर उसने न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र व राजस्व वाद के संबंध में नकल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्राप्त करने हेतु दिनांक 02.06.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 05.06.2023 को प्राप्त हुई जिसका अवलोकन करने पर उनके विरूद्ध दिनांक 26.02.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2025 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र दिनांक 16.11.2018 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 26.02.2019 को अपीलांट सहित प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेश पारित किया गया तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। आदेशिका दिनांक 28.05.2019 के अंकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.09.2019 द्वारा खारिज किया गया। आदेशिका दिनांक 10.10.2019 के अंकन अनुसार वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया।

3. आदेशिका दिनांक 06.07.2022 के अंकन अनुसार पत्रावली रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 04/2019 अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार होने से पत्रावली पुनः नंबर पर ली जाकर वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 24.08.2022 को नियत की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय की मूल वादपत्र पत्रावली के साथ संलग्न आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की पत्रावली संख्या 04/2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र दिनांक 16.10.2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किए जाने पर वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण की तलबी हेतु कोई सम्मन जारी नहीं किया गया एवं प्रतिवादीगण को सुने बिना आदेश दिनांक 06.07.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र पुनः नंबर पर लिया गया तथा मूल वादपत्र साक्ष्य वादी में नियत कर दिया गया। अतः स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादीगण को तलब व सूचित किए बिना तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना दिनांक 06.07.2022 का आदेश पारित किया गया एवं पश्चातवर्ती कार्यवाही संपादित की गई।

5. आदेशिका दिनांक 06.03.2024 के अंकन अनुसार अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 द्वारा आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिनके जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 13.03.2024 को नियत की गई।

6. आदेशिका दिनांक 30.07.2025 के अंकन अनुसार जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ तथा पत्रावली बहस हेतु दिनांक 13.08.2025 को नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 27.08.2025 नियत की गई। आगामी दिनांक 27.08.2025 व 17.09.2025 को न्यायिक कार्यवाही नहीं हुई। आदेशिका दिनांक 08.10.2025 द्वारा पत्रावली बहस हेतु दिनांक 15.10.2025 को नियत की गई तथा दिनांक 15.10.2025 को न्यायिक कार्यवाही संपादित नहीं हुई तथा पत्रावली दिनांक 29.10.2025 को नियत की गई।

7. आदेशिका दिनांक 29.10.2025 के अंकन अनुसार वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस के आधार पर विस्तृत निर्णय लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की गई। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी की बहस व आदेश हेतु विचाराधीन थीं। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2025 को ही बहस सुनी जाकर प्रतिवादी संख्या 2 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी को अस्वीकार करते हुए तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी पर कोई निर्णय पारित नहीं करते हुए वादपत्र को इसी स्तर पर निर्णित करते हुए वादपत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। जोकि न केवल वादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के लंबित व अनिर्णित रहने के बावजूद पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

की गई। बल्कि वादपत्र में साक्ष्य पूर्ण नहीं हुई एवं न ही वादपत्र अंतिम बहस व निर्णयार्थ कभी नियत किया गया।

8. वादपत्रों के निर्णयन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 से 20 तक एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में स्पष्ट व विस्तृत आज्ञापक प्रक्रियागत प्रावधान है। जिनका पूर्ण अनुपालन करते हुए वादपत्र अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किया जाना अपेक्षित व आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स प्रतिवादीगण को न केवल सुनवाई का युक्तियुक्त व पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया, बल्कि पत्रावली साक्ष्य में नियत नहीं होने के बावजूद तथा प्रकरण में साक्ष्य पूर्ण व बंद नहीं होने के बावजूद तथा पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत नहीं होने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र अंतिम रूप से डिक्री किया गया। जोकि आज्ञापक प्रक्रियागत प्रावधानों से गंभीर विचलन के साथ पारित निर्णय व डिक्री है, जो विधिविरूद्ध व त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टि योग्य नहीं होकर काबिल अपास्त है। साथ ही उक्त प्रश्नगत निर्णय व डिक्री के आधार पर भू-अभिलेख में किए गए इन्द्राजात व परिवर्तन तथा अन्य संव्यवहार अपीलांट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध आरंभतः प्रभाव शून्य है।

9. अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत नहीं होने तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील बखूबी साबित करने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2018 बअनवान बसंतीदेवी वगैरह बनाम बालूराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में लंबित प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश दिनांक 1 नियम 10 (2) सीपीसी का निर्णयन करते हुए, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम किए जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए वादपत्र विधिनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। अपास्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2025 के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख में किए गए समस्त इन्द्राजात व फेरबदल तथा समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरूद्ध आरंभतः शून्य होगी, संबंधित तहसीलदार इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। विद्वान विचारण न्यायालय के संबंधित पीठासीन अधिकारी को हिदायत दी जाती हैं कि वादपत्रों के निर्णयन में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युल 1956 के आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का भलीभांति अध्ययन करते हुए अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30.03.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाड़ा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **18.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner